

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्स्यू - पतलोटे मोटर मार्ग के किमी 85 में खन्स्यू रा0मा0 सं0 64 मे 42 मी0 स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

प्रारूप-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्स्यू-पतलोटे मोटर मार्ग के किमी 85 में खन्स्यू रा0मा0 सं0 64 मे 42 मी0 स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु का निर्माण कार्य।
(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।
(ग) परियोजना की लागत।	रु 280.00 लाख।
(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	स्टील गर्डर सेतु का नव निर्माण।
(ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	लगभग 7415 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	आरक्षित वन, वनपंचायत भूमि एवं नाप भूमि शून्य हे0, सिविल सोयम भूमि (बंजर) 0.020 हे0 इस प्रयोजना हेतु कुल 0.020 हे0 वन भूमि प्रभावित होती है। इसलिए 0.020 हे0 भूमि का वन भूमि हस्तान्तरण होना है।
3. परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है-	कोई नहीं।
(क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं।
(ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।
(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)	नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण काने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा-	संलग्न है।

स्थान:- नैनीताल
दिनांक:- 31.05.2018

सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड
लो0नि0चि0, नैनीताल

अधिशारी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0चि0
नैनीताल।

अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि
भवाली (नैनीताल)